

पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश

1, अरेरा हिल्स, तिलहन संघ भवन, भोपाल


फोन नं 0755-2557727 फैक्स नं. 0755-2558899 ई-मेल dirpanchayat@mp.gov.n

क्रमांक / पं.सा. / बजट / 2010 / 4349

भोपाल, दिनांक 24.09.2010

प्रति,

1. कलेक्टर,
जिला - समस्त,
मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत - समस्त
मध्यप्रदेश।



विषय :- जनश्री बीमा योजना का क्रियान्वयन एवं संचालन।

संदर्भ :- म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग (मंत्रालय), भोपाल का पत्र क्रमांक 1061/1694/2008/26-2, दिनांक 07.10.2008।

-0-

भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से 1 जनवरी 2009 को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी शहरी एवं ग्रामीण परिवारों के लिये जनश्री बीमा योजना प्रारंभ की गई थी। उक्त योजना का नवीनीकरण इस वर्ष के लिये भी किया गया है। योजनान्तर्गत आम आदमी बीमा योजना में लाभ ले रहे वे समस्त ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को छोड़कर शेष गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले ग्रामीण परिवार तथा समस्त गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले शहरी परिवार सम्मिलित हैं। जनश्री बीमा योजना में सम्मिलित सदस्य की बीमा संरक्षण अवधि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होती है जिसका नवीनीकरण प्रत्येक वर्ष होता है। वर्ष 2010-11 के लिए योजना का नवीनीकरण किया जा चुका है।

जनश्री बीमा योजना अंतर्गत इस वर्ष भी पात्र हितग्राहियों की पहचान ग्रामीण स्तर पर जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत द्वारा की जाकर उनके आवेदन-पत्र भरकर निर्धारित प्रपत्र में सूची संकलित कर ली गई होगी।

योजनांतर्गत शहरी स्तर पर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत भी पात्र हितग्राहियों के पहचान कर निर्धारित समयावधि के पूर्व आवेदन-पत्र एवं निर्धारित प्रपत्र पर संकलित सूची संबंधित जिला शहरी विकास प्राधिकरण को प्रेषित करने के निर्देश पूर्व में ही संदर्भित पत्र द्वारा जारी किये गये हैं।

जनश्री बीमा योजना के लिये आवेदन-पत्र तथा शिक्षावृत्ति आवेदन-पत्र निःशुल्क प्रदाय करने की व्यवस्था पूर्व से ही है। जिले स्तर पर योजनान्तर्गत पात्र हितग्राहियों की जानकारी निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटरीकृत कर लिया जावे। आवेदन-पत्रों एवं संकलित सूची के हार्डकॉपी व सॉफ्टकॉपी सीधे "पेंशन एवं समूह बीमा इकाई" भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल को भेजते हुये एक प्रति पंचायत राज संचालनालय को भी प्रेषित की जावे। पेंशन एवं समूह बीमा इकाई" भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल प्राप्त आवेदन-पत्रों एवं संकलित सूची की छटनी कर योजना में पंजीकृत किये गये वास्तविक सदस्यों की सूची पंचायत राज संचालनालय एवं संबंधित जिले को प्रेषित करेंगे।

DIOWLC
Publication set. k email to all
g
g/s-

543
9-5-11

पात्रता हेतु शर्त :-

1. केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले शहरी तथा ग्रामीण लोग जो इस योजनान्तर्गत बीमित सदस्य हैं तथा शासन द्वारा संचालित/वित्त पोषित बीमा योजना का लाभ प्राप्त न कर रहा हो।
2. आयु-हितग्राही आयु 18 से 59 वर्ष तक हो। (आयु प्रमाण-पत्र हेतु राशन कार्ड, जन्म प्रमाण-पत्र, शाला प्रमाण-पत्र जिनमें जन्म तिथि अंकित हो, मतदाता परिचय-पत्र/राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का जॉबकार्ड मान्य होंगे।)
3. सदस्य- योजनान्तर्गत बीमा सदस्य परिवार का मुखिया अथवा परिवार में कार्य करते हुए आय कमाने वाला सदस्य होना चाहिए।

नोट्स एंजेंसी :-

जनश्री बीमा योजना हेतु राज्य स्तर पर पंचायत राज संचालनालय, भोपाल तथा जिला स्तर के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अपने क्षेत्र की जानकारी निर्धारित प्रपत्र पर एकत्रित कर आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय को प्रेषित करेंगे।

हितग्राही को प्राप्त होने वाले लाभ :-

1. योजनान्तर्गत बीमित सदस्य की सामान्य मृत्यु होने, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने दुर्घटना में स्थायी पूर्ण अपंगता होने पर लाभ का प्रावधान है।
2. योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति को एकमुश्त निम्नानुसार राशि दी जावेगी।

स्थिति	राशि
सामान्य मृत्यु होने पर	रु 30,000/- (रुपये तीस हजार केवल)
दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा स्थायी रूप से पूर्ण अपंगता होने पर	रु 75,000/- (रुपये पचहत्तर हजार केवल)
दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर	रु 37,000/- (रुपये सैंतिस हजार केवल)

दुर्घटना का तात्पर्य :-

वाहन दुर्घटना जैसे रेल, बस या अन्य कोई भी वाहन, रासायनिक दुर्घटना प्राकृतिक आपदा, सर्पदंश, जहरीला प्राणी/कीड़े द्वारा दंश, डूबकर मृत्यु,

खदान में काम करते वक्त मृत्यु फैक्टरी में काम करते समय दुर्घटना में काम करते समय दुर्घटनावश मृत्यु।

योजना के तहत बीमित सदस्यों के बच्चों के लिए एक मुश्त एड-ऑन शिक्षावृत्ति लाभ दिया जायेगा। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के अध्ययनरत केवल दो विद्यार्थी प्रति परिवार को प्रतिमाह रु0 100/- की शिक्षावृत्ति दी जायेगी। हितग्राही को शासन द्वारा वित्त-पोषित किसी एक बीमा योजना का लाभ प्राप्त होगा।

दावा हेतु प्रक्रिया :-

हितग्राही को जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत दावा हेतु योजनान्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में ही केवल आवेदन प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित आवेदन पत्र/प्रारूप ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत/के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे तथा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भर कर निम्नानुसार प्रमाण-पत्र सहित संबंधित ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/जिला पंचायत में जमा करेंगे।

1. मृत्यु प्रमाण-पत्र या पोस्ट मार्टम रिपोर्ट
2. आवेदक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर होने के प्रमाण-पत्र
3. पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी रिपोर्ट की प्रति
4. पुलिस फायनल रिपोर्ट

दावा प्रस्तुत करने हेतु :-

दावा प्रस्तुत करने हेतु सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी संबंधित जनपद पंचायत जिला पंचायत होंगे। वे प्राप्त सभी आवेदन जिले के जीवन बीमा निगम के कार्यालय को प्रेषित करते हुये भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रेषित आवेदनों में दावा भुगतान स्वीकृति हेतु सतत प्रयास करेंगे।

पूर्ण रूपेण स्थायी विकलांगता का लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक प्रक्रिया :-

आवेदक को दुर्घटना/अपघात/घटना घटित होने संबंधी डाक्यूमेंट्री प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सिविल सर्जनया क्वालिफाइड शासकीय अस्थिरोग शल्य चिकित्सक (गर्वनमेंट आर्थोपेडिक सर्जन) अपघात से होने संबंधी प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।

हितग्राहियों की पहचान :-

राज्य शासन ग्राम पंचायत के सलाह एवं सहयोग से इस योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले व्यक्तियों की पहचान करेगा। ऐसे सभी पहचान किए व्यक्तियों की संख्या अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम यूनिक आईडेंटिटी कार्ड/परिचय पत्र जिला स्तरीय नोडल एंजेसी को उपलब्ध करायेगी। जिला नोडल एंजेसी पहचान किए गए सभी व्यक्तियों का नाम रजिस्टर में पंजीबद्ध करेंगे। इन रजिस्ट्रारों का भारतीय जीवन बीमा निगम अवलोकन कर सकेगी। अतः निगम के प्रतिनिधियों को अवलोकन हेतु रजिस्टर उपलब्ध कराया जावे।

मूल्यांकन :-

योजनाओं की निरंतर मॉनीटरिंग के उद्देश्य से "पेंशन एवं समूह बीमा इकाई" भारतीय जीवन बीमा निगम से प्राप्त वास्तविक पंजीकृत हितग्राही सदस्यों की संख्या के आधार पर प्रतिमाह निर्धारित प्रपत्र में तथ्यात्मक जानकारी "पेंशन एवं समूह बीमा इकाई" भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल पंचायत राज संचालनालय को प्रेषित करेगा जिसमें विकासखण्डवार दावा प्रकरणों के भुगतान स्वीकृति, आपत्ति के सार्थ लौटाये गये प्रकरणों की संख्या तथा निरस्त किये गये प्रकरणों की संख्या का विवरण मुख्य रूप से शामिल है।

जनश्री बीमा योजना प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण एवं जनहितैशी योजना है, योजना का लाभ आम जन तक पहुंच सके, इस हेतु आप अपने स्तर से प्रभावी पहल करें एवं आपके अधीनस्थ समस्त जनपद पंचायतों को निर्देशित करने का कष्ट करें, कि अधिकतम पात्र जनसाधारण को योजना के दायरे में लाते हुए पात्र हितग्राहियों की संख्या निर्धारित प्रपत्र पर भारतीय जीवन बीमा निगम को शीघ्र उपलब्ध करायें।

जनश्री बीमा योजना के क्रियान्वयन पर आपके द्वारा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(हीरालाल त्रिवेदी)

आयुक्त

पंचायत राज संचालनालय

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24.09.2010

पु.क्रमांक / पं.रा. / बजट / 2010 / 4350

वैशिष्ट्य :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, की ओर सूचनार्थ।
3. मण्डल प्रबंधक, पेंशन एवं समूह बीमा इकाई भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. संचालक संस्थागत वित्त, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. संयुक्त संचालक, वित्त, पंचायत राज संचालनालय की ओर एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त

पंचायत राज संचालनालय

मध्यप्रदेश